


न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0 सर्किट कोर्ट कैम्प रीवा
(म0प्र0)



R 5065-II/16

दुलीचन्द चौरसिया तनय भीमसेन चौरसिया उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम
लालपुर तह0-थाना अमरपाटन जिला सतना म0प्र0

Rs. 20/-

.....आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. सुरेश कुमार चौरसिया | ← सभी के पिता मुण्डाली चौरसिया |
| 2. कमलेश चौरसिया | ← सभी निवासी ग्राम लालपुर |
| 3. विनोद चौरसिया | ← तह0-थाना अमरपाटन |
| 4. सुलोचना चौरसिया | ← जिला सतना म0प्र0 |

.....अनावेदक / गैर निगरानीकर्ता गण

अरवि चौरसिया
11.2.16
इह
सिद्धा
रिवा

न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत्त अमरपाटन जिला
सतना म0प्र0 के द्वारा रा0प्र0क्र0
54/अ12/14-15 आदेश दिनांक 10.11.15 के
विरुद्ध निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0
1959 ई0।

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य :-

यह कि अना0/गैर निगरानीकर्ता गण द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त
अमरपाटन के समक्ष ग्राम लालपुर की आ0नं0 327 रकवा 0.267 हे0, के
सीमांकन बावत दिनांक 24.09.2015 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया,
जिसमें आवेदक को सरहदूदी कास्तकार होते हुये भी सूचित नही किया

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R5065-II/16

जिला-सतना

दुलोचन्द्र चौरसिया/ सुरेश कुमार

(1)	(2)	(3)
5.8.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अरूणेन्द्र चौरसिया उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त अमरपाटन, तह0 अमरपाटन, के प्रकरण क्रमांक 54/अ-12/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 10.11.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">(महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य</p>	